

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/9349 दिनांक :- 19/11/25

आदेश संख्या : 443/2025-26

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर डी बी स्पेशल अपील याचिका सं. 227/2020 ऋचा कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य कनेक्टेड प्रकरण में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.07.2024 के अन्तिम निर्णय के अधधीन राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कार्मिक जिन्हें कनिष्ठ लेखाकार/त.रा.ले. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 में सफल घोषित होने पर 02 वर्ष की अवधि हेतु विभागीय आदेश सं. 63/2017-18 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी गई थी, का राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार पद का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से वेतन नियमितिकरण किया जाता है:-

क्र. स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री)	लिंक नम्बर	जन्म तिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	वेतन नियमितिकरण तिथि
1	2	3	6	7	8	9
1	ऋचा कुमारी	12632	20-03-1992	03.07.17	02.07.19	03.07.19

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अन्तर्गत पे-मेट्रिक्स के लेवल L-10 में वेतन तथा नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों (जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा है) का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F. 15 (1) FD/RULES/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा। इनके वेतन का नियमानुसार कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के स्तर से निर्धारण किया जावेगा।

उक्त आदेश कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों/वादों के अन्तिम निर्णय के अधधीन रहेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/9349 दिनांक :- 19/11/25
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)